

(टिप्पणी : यह वचनबंध-पत्र रु. 10 / - के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट / सब जज / नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर रु. 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें) जबिक मुझे सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री / श्री निवासी को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्धन और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर आबंटित किया गया है (जिसे आगे फ्लैट कहा गया है) । और जबिक उक्त विनियमों के अन्तर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले फ्लैट के साथ लगे हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक एजेन्सी का गठन और पंजीकरण कराना, फ्लैट के हस्तांतरण विलेख और भिम के संयुक्त पटटा विलेख का निष्पादित कराना बाध्यकर होगा । और जबिक उक्त विनियमों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का तात्कालिक कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है । तत्द्वारा वचन देता हूं कि आबंटित फ्लैट का कब्जा पहले दिऐ जाने की स्थिति में उन सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा / करूंगी ो दिल्ली विकास प्रधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपदान) विनियम 1968 में निर्धारित हैं जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेजों शामिल हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के करार, हस्तांतरण विलेख में निर्धारित किए गए है और मैं उन पर हस्ताक्षर गा / करूंगी और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा / करूंगी तथा उनका पंजीकरण फ्लैट का कब्जा सौंपने की तिथि र, 90 दिन के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि जिसकीं अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर दी जाए मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा / दूंगी और उस बढ़ाई गई अवधि के 90 दिनों की उक्त अवधि के दौरान, जैसा भी अनुमेय हो, मैं आबंटित फ्लैट से संबद्ध सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल कराने के लिए जिम्मेदार होऊंगा / होऊँगी । मैं यह भी वचन देता / देती हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेन्सी का गठन करूंगा / करूंगी और उसका सदस्य बनूंगा / बनूंगी तथा उसके लिए बनाए गए आदर्श संविधान का पालन करूंगा / करूंगी जिसे मैंने पढ लिया है और उसे समझ लिया है । में दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्द्धन और परिवर्तन न करने का भी वचन देता / देती हूं । यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में असमर्थ रहा / रही तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रदद करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा । सन के मास के दिन को निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गये। आवंटिती 1. 2. ANNEXURE-E UNDERTAKING (NOTE: This undertaking should be on a non-judicial stamp paper of Rs. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-JudgefNotary Public and an extra stamp worth Rs. 5/- should be affixed thereon.) R/o..... on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Houing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the said Regulation) have been alloted a.....(hereinafter called the flat). AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice -Chairman, DDA for the management and administration of the common portions and common services attached to the flats execute the convayance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat hended over to me. AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various fomalities required to be performed by me under the said regulations and execution and registration of the documents provided in the Regulations. R/o.....hereby, undertake that in the event of the possession of the flat allotted being given to me earlier. I shall abide all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the document containing therein, or may be set forth in the Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign. and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manner prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted. I shall be responsible for looking after the maintenance of the common services attached to the flat allotted. I, further undertake that we shall constitute and become a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulations and abide by the constitution a model form of which I have read and understood. I, also undertake not to make any addition and alteration in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the DDA. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfil the undertaking given herein. Two Thousand day of Signed by me on In the persence of withnesses